न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 878 सन 2021
अनवान :–

1. लालचन्द पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी ननाउ तहसील नोहर। वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

अराल प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 06/05/2022

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा ननाउ के खसरा न0 794 की 3.14 बीधा ,801 की 3.10 बीधा ,800 की 6.00बीधा कुल 13.04 बीधा भूमि ख्यालीराम वल्द तखू जाति चमार निवासी ननाउ को दिनांक 02.11.1976 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता ख्यालीराम वल्द तखू एवं वादी के पिता ख्यालीराम वल्द तखू के देहान्त होने पर वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा ननाउ के खसरा न0 794/3.00 ,801/3.10 ,800/6.00 कुल 13.04 बीधा भूमि को हेक्टयर में परिर्वतन किया जाकर खसरा न0 794/0.9360हैक ,800/1.518हैक 801/0.8850हैक कुल 3.3390हैक में पैमुद की गई है जो वर्तमान जमाबन्दी में वादी के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज है।

ख्यालीराम वल्द तखू जाति चमार साकिन ननाउ का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस वादी है जिसके वादी के पिता ख्यालीराम वल्द तखू को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी के नाम से दर्ज है ।

रोही मोजा ननाउ के खसरा न0 794/0.9360हैक ,800/1.518हैक 801/0.8850हैक कुल 3.3390हैक भूमि दिनांक 02.11.1976 को वादी के पिता ख्यालीराम वल्द तखूराम को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता ख्यालीराम वल्द तखू के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी ख्यालीराम उसके वारिस वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है ।

वादी के पिता ख्यालीराम वल्द तखू को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता ख्यालीराम वल्द तखू नियामानुसार खातेदार हो गये थे वादी के पिता ख्यालीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि के नाम दर्ज है जिसे राजस्व रिकार्ड में आज भी गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 794/0.9360हैक ,800/1.518हैक 801/0.8850हैक कुल 3.3390हैक भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 794/0.9360हैक ,800/1.518हैक 801/0.8850हैक कुल 3.3390हैक भूमि जो वादी के पिता ख्यालीराम वल्द तखू को दिनांक 02.11.1976 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता ख्यालीराम वल्द तखू के नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता ख्यालीराम के देहान्त होने के बाद वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

आकर वादी के वाद के सम्बध में जवाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जवाब शामिल मिसल किया जाकर वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा ननाउ के खसरा न0 794 की 3.14 बीघा ,801 की 3.10 बीघा ,800 की 6.00बीघा कुल 13.04 बीघा भूमि ख्यालीराम वल्द तखू जाति चमार निवासी ननाउ को दिनांक 02.11.1976 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व मे वादी के पिता ख्यालीराम वल्द तखू एवं वादी के पिता ख्यालीराम वल्द तखू के देहान्त होने पर वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा ननाउ के खसरा न0 794/3.00 ,801/3.10 ,800/6.00 कुल 13.04 बीघा भूमि को हेक्टयर में परिर्वतन किया जाकर खसरा न0 794/0.9360हैक ,800/1.518हैक 801/0.8850हैक कुल 3.3390हैक में पैमुद की गई है जो वर्तमान जमाबन्दी में वादी के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज है।

ख्यालीराम वल्द तखू जाति चमार साकिन ननाउ का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस वादी है जिसके वादी के पिता ख्यालीराम वल्द तखू को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी के नाम से दर्ज है ।

रोही मोजा ननाउ के खसरा न0 794/0.9360हैक ,800/1.518हैक 801/0.8850हैक कुल 3.3390हैक भूमि दिनांक 02.11.1976 को वादी के पिता ख्यालीराम वल्द तखूराम को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता ख्यालीराम वल्द तखू के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी ख्यालीराम उसके वारिस वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है ।

वादी के पिता ख्यालीराम वल्द तखू को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता ख्यालीराम वल्द तखू नियामानुसार खातेदार हो गये थे वादी के पिता ख्यालीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि के नाम दर्ज है जिसे राजस्व रिकार्ड में आज भी गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 794/0.9360हैक ,800/1.518हैक 801/0.8850हैक कुल 3.3390हैक भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा ननाउ के रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 794/0.9360हैक ,800/1.518हैक 801/0.8850हैक कुल 3.3390हैक भूमि ख्यालीराम वल्द तखू जाति चमार निवासी ननाउ को दिनांक 02.11.1976 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

आवंटि ख्यालीराम वल्द तखू जाति चमार का देहान्त हो चुका है जिसका जायज वारिस वादी है जिनके वाद भूमि कब्जा काश्त में है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीं के नाम राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यो कें सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है।

अर्थात वाद भूमि ख्यालीराम वल्द तखू जाति चमार को दिनांक 02.11.1976 को आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि पूर्व में वादी के पिता ख्यालीराम वल्द तखू के कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पिता आवटी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

ख्यालीराम वल्द तखू के देहान्त होने पर वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के दादा ख्यालीराम वल्द तखू जाति चमार निवासी ननाउ को रोही मौजा ननाउ कें खसरा न0 794/3.14 ,801/3.10 ,800/6.00 कुल 13.04 बीधा भूमि दिनांक 02.11.1976 को आवंटित की गई थी जो वर्तमान में हैक्टयर में परिर्वतन की जाकर रोही मौजा ननाउ के रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 794/0.9360हैक ,800/1.518हैक 801/0.8850हैक कुल 3. 3390हैक गें पैमुद की जाकर वादी के नाम बतौर गैरखातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज ख्यालीराम वल्द तखू को आवंटन दिनांक 02.11.1976 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी का पिता आवंटन दिनांक 02.11.0976 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के दादा ख्यालीराम वल्द तखू को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) col/2005 जयपुर दिनांक 28.05.2007 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदारी अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 28.05. 2007 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पिता ख्यालीराम वल्द तखू जाति चमार निवासी ननाउ को रोही मौजा ननाउ के रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 794/0.9360हैक ,800/1.518हैक 801/0.8850हैक कुल 3.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

3390हैक भूमि को आवंटन नियम 1957/1970 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है।

वादी एव आवंटी ख्यालीराम वल्द तखू जाति चमार निवासी ननाउ तहसील नोहर जो अनुसूचित जाति वर्ग की श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 714/405 के रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 794/0.9360हैक .800/1.518हैक 801/0.8850हैक कुल 3.3390हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीघा का 10 प्रतिशत 200/–प्रतिबीघा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. लालचन्द पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी ननाउ तहसील नोहर। वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर। प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 878 सन 2021 निर्णय दिनांक – 04/05/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने प र वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 714/405 के रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 794/0.9360हैक ,800/1.518हैक 801/0.8850हैक कुल 3.3390हैक भूमि जो वर्तमान मे इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीघा का 10 प्रतिशत 200/–प्रतिबीघा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner